भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *435

दिनांक 31 मार्च, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गर्भधारण-पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम का कार्यान्वयन

***435. श्री टी.आर.वी.एस.रमेश:**
डॉ. एम.के.विष्णु प्रसाद:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): क्या सरकार भ्रूण हत्याओं के लिंग-वार आंकड़े एकत्र करने और उनका रख-रखाव करने के लिए कोई राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण कराने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख): सरकार द्वारा गर्भधारण-पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम, 1994 के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग): क्या कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित आंकड़ें प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्य से लिए जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 31 मार्च, 2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 435* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

****

(क) और (ग): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, भ्रूण हत्या (स्त्री भ्रूणहत्या सहित) के अंतर्गत पंजीकृत कुल मामलों की वर्षवार संख्या वर्ष 2019 में 136, वर्ष 2020 में 109 और वर्ष 2021 में 121 है (राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है)।

(ख): सरकार के गर्भधारण-पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी और पीएनडीटी) (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 के कार्यान्वयन पर नज़र रखने के लिए निम्नलिखित कदम/पहल की हैं:-

- निरीक्षण के माध्यम से नियमित निगरानी।
- कार्यान्वयन अधिकारियों और न्यायिक अधिकरियों के क्षमता निर्माण की समीक्षा।
- शिशु बालिका के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए जागरूकता सृजन और प्रचार-प्रसार के उपाय करना।
- लिंग चयन के संबंध में इंटरनेट पर ई-विज्ञापनों को विनियमित करके और हटाने के लिए वर्ष 2016 में एक नोडल एजेंसी स्थापित की गई।
- कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देना।
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) जैसी विभिन्न स्कीमों के बीच तालमेल में तेजी लाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं।

बीबीबीपी स्कीम का उद्देश्य है शिशुबालिका को अहमियत देने के लिए सोच बदलना, लिंग भेद के आधार लिंग-निर्धारण की रोकथाम और शिशु बालिका की उत्तरजीविता और संरक्षण सुनिश्चित करना और समन्वित और एकजुट प्रयासों से बालिका की शिक्षा और सहभागिता सुनिश्चित करना।

अनुलग्नक-I

2019-2021 के दौरान भ्रूण हत्या के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मामले (सीआर) रिपोर्ट किए गए

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019	2020	2021
		सीआर	सीआर	सीआर
1	आंध्र प्रदेश	3	7	1
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3	असम	0	0	0
4	बिहार	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	15	13	21
6	गोवा	0	0	0
7	गुजरात	15	22	23
8	हरियाणा	17	5	14
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
10	झारखंड	0	0	0
11	कर्नाटक	3	2	2
12	केरल	0	0	0
13	मध्य प्रदेश	32	17	23
14	महाराष्ट्र	5	12	6
15	मणिपुर	0	0	0
16	मेघालय	1	0	0
17	मिजोरम	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0
19	ओडिशा	0	0	0
20	पंजाब	12	11	9
21	राजस्थान	22	10	13
22	सिक्किम	0	4	0
23	तमिलनाडु	0	0	0
24	तेलंगाना	0	0	1
25	त्रिपुरा	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	4	4	0
27	उत्तराखंड	0	1	2
28	पश्चिम बंगाल	0	0	0
	कुल राज्य (एस)	**129**	**108**	**115**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव +	0	0	0
32	दिल्ली	7	1	3
33	जम्मू और कश्मीर*	0	0	3
34	लद्दाख	-	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0
36	पुद्दुचेरी	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र (एस)	**7**	**1**	**6**
	कुल (अखिल भारतीय)	**136**	**109**	**121**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया

नोट: वर्ष 2019 के दौरान पूर्ववर्ती दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र का '+' संयुक्त डेटा

***' वर्ष 2019 के दौरान लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के आंकड़े**

****